

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर
अहमदाबाद
हुकम की
में जारी

23 ¹⁰/₁₇

पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.
अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी
दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 13.11.17 को पेश हो

13 ⁴/₁₇

पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.
अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी
दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 21.12.17 को पेश हो

21 ¹²/₁₇

पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.
अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी
दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 6.3.18 को पेश हो

6.3.18

पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.
अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी
दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 26.3.18 को पेश हो

08 ⁰⁵/₁₈

~~पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.~~
~~अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी~~
~~दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।~~
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 06/06/18 को पेश हो

08 ⁰⁶/₁₈

~~पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.~~
~~अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी~~
~~दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।~~
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 6/11/18 को पेश हो

06 ¹¹/₁₈

पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.
अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी
दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 28/01/19 को पेश हो

28 ⁰¹/₁₉

पत्रावली पेश हुई। बकनाग उप.
अनुपस्थित / पीठारत अधिकारी
दौर पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 16.04.19 को पेश हो

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
16 ⁰⁵ /19	<p>पत्रावली पेश हुई। बकूलाग उप. अध्यापिका / पीठारसी अधिकारी दूसरे अन्य कार्य में व्यस्त। ✓ पत्रावली पूर्ण आधारानुसार आईन्दा दिनांक-23/07/19 को पेश हो</p>	
23 ⁰⁷ /19	<p>पत्रावली पेश हुई। बकूलाग उप. / अध्यापिका / पीठारसी अधिकारी दूसरे अन्य कार्य में व्यस्त। ✓ पत्रावली पूर्ण आधारानुसार आईन्दा दिनांक-19/11/19 को पेश हो</p>	
26 ¹¹ /19	<p>ईलाजही पेशी के तौर पर पत्रावली आज पेश हुई। उज्जण में चार-चार आवाज लगवाई गई। बाबजूद आवाज लगवाने बकूलाग उभयपक्ष अथवा पक्षकारों में से कोई भी हाजिर झाला नहीं आया है। अतः उज्जण अदम हाजिरी खं अदम पेशी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से जम्मे हो तथा चार तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय उल्ले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	